



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

(दूरभाष नं. 0141-2227229, ईमेल आईडी : pdme2k.rdd@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ 3(7)ग्रावि/ग्रुप-8/साप्ताहिक बैठक/2020

जयपुर, दिनांक :- 09/11/2020

:-संशोधित आदेश:-

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं/क्रिया कलापों की समयबद्ध क्रियान्विति के लिए साप्ताहिक बैठक आयोजन हेतु विभागीय आदेश दिनांक 14.09.2020 में अधिकारियों की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। शेष निर्देश यथावत रहेंगे -


1. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास
3. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा
4. स्टेट मिशन निदेशक, स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका परियोजनाएँ
5. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
6. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन -ग्रामीण
7. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
8. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण (SSAAT)
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण
10. परियोजना निदेशक, मो एवं मू, ग्रामीण विकास

- ❖ कोरोना संक्रमण की दृष्टि से केवल नामित अधिकारी ही बैठक में भाग लेंगे। आवश्यकता होने पर संबंधित अनुभाग अधिकारी को दूरभाष पर बुलाया जा सकेगा।
- ❖ शासन सचिव, ग्रामीण विकास:- महात्मा गांधी नरेगा, राजीविका, बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं अरावली संस्थान। शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज:- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण तथा इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के कार्यालय अध्यक्षों एवं अनुभाग अधिकारियों की पृथक से समीक्षा करेंगे।
- ❖ आयोजना, वित्त, विधि, जन अभाव अभियोग एवं निराकरण, मंत्रिमण्डलीय सचिवालय, मंत्रिमण्डलीय समितियों, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय, मा0 राज्यपाल महोदय, मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय, मा0 राष्ट्रपति भवन को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समग्र सूचना प्रेषिति बाबत शासन सचिव ग्रामीण विकास/शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज जो भी वरिष्ठतम हो विभाग के समन्वय सचिव के रूप में कार्य करेंगे। उक्त समन्वय कार्य परियोजना निदेशक (मो0एवंमू0) अनुभाग द्वारा सम्पादित/नियन्त्रित होगा।

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/पालनार्थ हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
- 4 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
- 5 निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका परियोजनाएँ।
- 6 निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान।
- 7 निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण।
- 8 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण (SSAAT)।
- 9 आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग।
- 10 संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास।
- 11 परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस, ग्रावि।
- 12 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) पंचायती राज।
- 13 उपायुक्त एवं संयुक्त सचिव (प्रथम/द्वितीय) पंचायती राज।
- 14 परियोजना निदेशक (LP & SHG), राजीविका।
- 15 परि. निदे. एवं उप सचिव (एसएपी/मो. एवं मू), ग्रामीण विकास।
- 16 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायती राज/ईजीएस।
- 17 संयुक्त सचिव (आयोजना), पंचायतीराज।
- 18 स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण।
- 19 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास/ईजीएस/पंचायती राज।
- 20 कार्यकारी निदेशक, अरावली संस्थान, एचसीएम रीपा, जयपुर।
- 21 संयुक्त निदेशक (मो0), पंचायतीराज।
- 22 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
- 23 परियोजना अधिकारी (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
- 24 सहायक निदेशक (प्रचार), ईजीएस/पंचायतीराज।
- 25 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।


(हितबल्लभ शर्मा)

09/11/2020

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)